

तारीख  
हुक्म

वाद पत्र 55/2019

2019/00156

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

श्रीमती राजकुंवर अंवर सिंह vs श्रीमती शोलेन्द्र सिंह राजपूत बनाम राजस्थान राज्य जरिये

नम्बर  
अहकाम  
हुक्म की  
में जारी

24.12.19

पत्रावली पेश हुई. उभय पक्ष उपस्थित.  
वाद में प्रतिवादी श्री जोर से पत्रावली पर  
जवाब के रूप में कहते हैं कि वाद पत्र  
में सलाह दस्तावेज के आधार पर नाम  
संशोधन करने में राज्य पक्ष प्रभावित नहीं  
होता है.

पत्रावली में वादी काफ़ी वक्ता द्वारा विवेक  
किया कि प्रकरण में सरकार श्री जोर से  
जवाब दान्युक्त है तथा वादी जोर से नाम  
वाद पत्र में वादी द्वारा नाम के खालेदार  
के जोर होने से विरासत श्री कार्यवाही के तहत  
आम भाषा में प्रचलित नाम विरासत के  
दौरान नामांतरण के दर्ज कर दिष्ट जवाब  
अनुप दस्तावेज में नाम शुद्ध रूप से उल्लेख  
दर्ज है उस अनुसार दस्तावेजों में नाम  
प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की जोर  
प्रतिवादी पेश की गयी जो शामिल पत्रावली  
है. मैं पत्रावली का अवलोकन किया  
इस प्रकार में मात्र नाम शुद्धी का प्रकरण है  
खालेदार के विधिक वारीसात का नाम पहले से ही  
दर्ज है जिसमें कृषि होकर आम कोल-वाल भी  
भाषा में कोलत नाम दर्ज है जवाब के आधार  
कार्ड में शुद्ध रूप से दर्ज है जिसका उल्लेख  
राजस्थान सरकार के दर्ज कराना चाहते हैं

वाद पत्र में  
प्रमाणों के आधार पर  
नाम संशोधन  
करने में राज्य पक्ष  
प्रभावित नहीं है।  
N.T.

इस प्रकार रेकार्ड में नाम शक्ति से सरकार का हित प्रभावित नहीं होता है परन्तु स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है.

उक्त वादी का वाद स्वीकार किया जाना आदेश दिया जाता है कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात खाला नं. १४ गाम जलामली में उचित खात संख्या १४ में दर्ज किया ३ संख्या ५-३१ है. खात सं ११ में उचित किया १ संख्या ०-०२ है खात सं १०० में उचित किया ५ संख्या ०-५१ है खात सं १०१ में उचित किया १ संख्या ०-६१ है खात सं ११ में दर्ज किया ६ संख्या ०-३७ खात सं ३१ में उचित कुल किया १ संख्या ०-०५ है में वादी गवा संख्या १ का नाम राजकुंवर वादी सं २ का नाम भाजलकुंवर वादी सं ३ का नाम ककुंवर वादी संख्या ५ का नाम करनसिंह उचित राजु के अजाय राजकुंवर, भाजु के अजाय भाजलकुंवर, ~~ककुंवर~~ ककुंवर के वा मदर सिंद के अजाय ककुंवर लेवा मदरसिंह किरनसिंह पिता मदरसिंह के अजाय करनसिंह पिता मदरसिंह का नाम राजल रेकार्ड में दर्ज किया जाके इसी आशय भी दिखी जारी है

Signature

तारीख  
हुकम

वाकपत्र 55/2019

2019/00156

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
श्रीमती राज कुंवर Di० भंवर सिंह Di० शोलेन्द्र सिंह राजपूत बनाम  
राजस्थान राज्य जरिये

नम्बर  
अहक  
हुकम को  
में जारी

पालतार्व लहरीलदार रायपुर को लिखा  
जावे, पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर  
से कम हो।

24.12.19

(सुन्दरलाल खन्ना)

दि. 12.5

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर (बीलवाडा)

